इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 118] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च 2013—फाल्गुन 28, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 7894-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 19 मार्च 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १० सन् २०१३

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, २०१३

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा ३ का संशोधन.
३. धारा ४ का स्थापन.
४. धारा ५ का संशोधन.
५. धारा ६ का स्थापन.
६. धारा ७ का संशोधन.
७. धारा ८ का संशोधन.
८. अध्याय ४ क का अंत:स्थापन.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १० सन् २०१३

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, २०१३

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और मध्यप्रदेश राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९) (जो इसमें इसके पश्चात्, मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा ३ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२) प्रत्येक जल उपभोक्ता क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाएगा जो लघु सिंचाई प्रणाली के मामले में छह और वृहद् तथा मध्यम सिंचाई प्रणालियों के मामले में बारह होंगे.".

धारा ४ का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति.

"४ (१) प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा के लिए एक प्रबंध समिति होगी जो उनके अपने-अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, धारा ३ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में यथाविनिर्दिष्ट जल उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्षत: निर्वाचित धारा ३ की उपधारा (२) में यथाविनिर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों से मिलकर बनेगी.

(२) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति एक अभंग निकाय होगी, जिसके एक तिहाई निर्वाचित सदस्य उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे.

(३) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि, यदि उन्हें अधिनियम के उपबंधों के अधीन वापस नहीं बुलाया गया हो या हटाया नहीं गया हो या निरर्हित नहीं किया गया हो, धारा २१ की उपधारा (१) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से छह वर्ष होगी:

परन्तु प्रथम निर्वाचन में, समस्त प्रादेशिक क्षेत्रों के सदस्य एक बार में निर्वाचित किए जाएंगे, जिनमें से एक तिहाई सदस्य दो वर्ष पूर्ण हो जाने पर, दूसरे एक तिहाई सदस्य चार वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, तथा शेष एक तिहाई सदस्य पद के छह वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात्, सेवानिवृत्त होंगे और उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों का प्रथम निर्वाचन प्रारंभ होने के पूर्व लॉट डालकर विनिश्चित किया जाएगा.

(४) जिला कलक्टर, किसी जल उपभोक्ता क्षेत्र के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य से मिलकर बनने वाली प्रबंध समिति के निर्वाचन के लिए गुप्त मतदान द्वारा विहित रीति में व्यवस्था कराएगा.

(५) जिला कलक्टर, विहित रीति में, जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्यों में से प्रबंध समिति के एक अध्यक्ष के निर्वाचन की भी व्यवस्था करेगा.

(६) यदि उपधारा (४) और (५) के अधीन किसी निर्वाचन में जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जा सके हों तो विहित रीति में नया निर्वाचन कराया जाएगा.

(७) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, यदि उसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन वापस नहीं बुलाया गया हो या हटाया नहीं गया हो या निरर्हित नहीं किया गया हो, निर्वाचन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल पूरा होने तक जो भी पूर्वतर हो, पद पर रहेगा.

(८) साधारण निर्वाचन के पश्चात् बनाई गई समस्त जल उपभोक्ता संथाओं की प्रबंध समिति के सदस्यों तथा अध्यक्ष की पदावधि भी उसी समय समाप्त हो जाएगी जबकि वह उस समय समाप्त होती यदि वह सामान्य निर्वाचन में निर्वाचित हुआ होता.

(९) प्रबंध समिति, जल उपभोक्ता संथा की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी.''.

धारा ५ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में, उपधारा (३) में, शब्द ''और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य'' का लोप किया जाए.

धारा ६ का स्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा ६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

वितरिका समिति की प्रबंध समिति का निर्वाचन.

''६. (१) प्रत्येक वितरिका समिति के लिए, वितरिका समिति के साधारण निकाय के समस्त सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक प्रबंध समिति होगी.

(२) जिला कलक्टर, वितरिका समिति की प्रबंध समिति के सदस्यों में से अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए गुप्त मतदान द्वारा ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, इंतजाम करेगा.

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन कराए गए निर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित नहीं किया जाता है तो यथाविहित रीति में नए निर्वाचन कराए जाएंगे.

(४) यदि वितरिका समिति की प्रबन्ध समिति में कोई महिला सदस्य नहीं है तो प्रबंध समिति, सदस्य के रूप में एक महिला को सहयोजित कर सकेगी जो कि साधारणत: कृषक संगठन क्षेत्र की निवासी होगी.

(५) वितरिका समिति की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि, यदि अधिनियम के उपबंधों के अधीन पूर्व में ही उन्हें वापस नहीं बुलाया गया हो या जब तक उन्हें हटाया न गया हो या निरर्हित न किया गया हो, धारा ५ की उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट साधारण निकाय की अवधि की सहविस्तारी होगी.

(६) प्रबन्ध समिति, वितरिका समिति की शक्ति का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करेगी.''.

धारा ७ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) वृहद् सिंचाई परियोजना के परियोजना क्षेत्र की वितरिका समिति के समस्त अध्यक्षों तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की परियोजना क्षेत्र के जल उपभोक्ता संथा के समस्त अध्यक्षों से जब तक

वे ऐसे पद पर रहें, परियोजना समिति के साधारण निकाय का गठन होगा जिसमें दो नामनिर्दिष्ट सदस्य सम्मिलित होंगे जिसमें से एक विभिन्न विभागों तथा कृषकों के संगठन के बीच समन्वयक के रूप में कृत्य करेगा तथा वह वृहद् परियोजना के लिए जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग का कार्यपालन यंत्री होगा या मध्यम परियोजना के लिए जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग का सहायक यंत्री होगा और दूसरा सदस्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा जो किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग से होगा. नामनिर्दिष्ट सदस्य को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा.''.

धारा ८ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ८ में, उपधारा (१), (२) और (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''(१) प्रत्येक परियोजना समिति के लिए एक प्रबंध समिति होगी, जो परियोजना समिति के लिए साधारण निकाय के समस्त सदस्यों से मिलकर बनेगी.

(२) (क) परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सदस्यों से सभापति (चेयरपर्सन) के गुप्त मतदान पद्धति द्वारा निर्वाचन के लिए जिला कलक्टर ऐसी रीति में व्यवस्था करवाएगा जैसी कि विहित की जाए.

(ख) वृहद् परियोजनाओं की परियोजना समिति के सभापति (चेयरपर्सन) परियोजना क्षेत्र की वितरिका समिति के अध्यक्षों में से निर्वाचित किए जाएंगे जबकि मध्यम परियोजनाओं के सभापति (चेयरपर्सन) परियोजना क्षेत्र की जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्षों में से निर्वाचित किए जाएंगे.

(ग) यदि खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन कराए गए निर्वाचन में सभापति (चेयरपर्सन) निर्वाचित नहीं होता है तो यथाविहित रीति में नये निर्वाचन कराए जाएंगे.

(४) परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति (चेयरपर्सन) और सदस्यों की पदावधि के पूर्व अधिनियम के उपबंधों के अधीन यदि उसे वापस नहीं बुलाया जाता या हटाया नहीं जाता या निरर्हित नहीं कर दिया जाता है तो धारा ७ की उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट साधारण निकाय की अवधि सहविस्तारी होगी.''.

अध्याय ४ क का अंत:स्थापन.

८. मूल अधिनियम में, अध्याय ४ के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय, जिसमें धारा २२ क से २२ झ तक अंतर्विष्ट है, अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''अध्याय ४ क

नियंत्रण

परिभाषा.

२२ क. इस अध्याय के प्रयोजन के लिए ''समुचित प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, परियोजना समिति की दशा में संभागीय आयुक्त, वितरिका समिति की दशा में जिला कलक्टर और जल उपभोक्ता संथा की दशा में उपखंड अधिकारी राजस्व.

कृषक संगठन के पदाधिकारियों और अधिकारियों अथवा सेवकों का लोक सेवक होना.

२२ ख. कृषक संगठन का प्रत्येक पदाधिकारी तथा उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक, भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा.

कृषक संगठन के मामलों की जांच.

२२ ग. राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी, समय-समय पर, कृषक संगठनों द्वारा संधारण या निर्माण कार्यों से संबंधित मामलों की जांच करवा सकेगा.

आदेशों आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति.

२२ घ. (१) राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी, लिखित में आदेश द्वारा और उसमें कथित किए जाने वाले कारणों से किसी कृषक संगठन द्वारा पारित किसी संकल्प, जारी आदेश, प्रदान की गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के निष्पादन को निलंबित कर सकेगा या किसी कृत्य के निर्वहन को प्रतिषिद्ध कर सकेगा, यदि उसकी राय में,—

(क) ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या कृत्य, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधिक्य में है या किसी विधि के प्रतिकूल है; या

(ख) ऐसे संकल्प अथवा आदेश का निष्पादन या ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा का प्रवर्तन में बने रहना, या ऐसे कृत्य के किए जाने से किसी धन की हानि, दुर्व्ययन अथवा दुरुपयोजन कारित होना संभाव्य है या कृषक संगठन में निहित किसी संपत्ति को नुकसान कारित कर सकता है.

(२) समुचित प्राधिकारी द्वारा जब भी उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश किया जाए वह तुरन्त तथा किसी भी स्थिति में आदेश की तारीख से दस दिन के अपश्चात् राज्य सरकार अथवा इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आदेश की प्रति इसे किए जाने के कारणों के विवरण के साथ अग्रेषित करेगा और राज्य सरकार या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे अपास्त कर सकेगा, पुनरीक्षित कर सकेगा या उपांतरित कर सकेगा अथवा यह निदेश दे सकेगा कि यह उपांतरण सहित या बिना किसी उपांतरण के स्थायी रूप से या ऐसी कालावधि के लिए जैसी कि वह उचित समझे निरंतर प्रवृत्त बना रहेगा :

परन्तु उपधारा (१) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश की राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए अधिकारी द्वारा संबंधित कृषक संगठन को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना पुष्टि नहीं की जाएगी, उसे अपास्त, पुनरीक्षित या परवर्तित नहीं किया जाएगा.

कृषक संगठनों के पदाधिकारियों का निलंबन.

२२ ङ (१) राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी, कृषक संगठन के ऐसे किसी पदाधिकारी को निलंबित कर सकेगा—

(क) जिसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी आपराधिक कार्यवाही में आरोप विरचित कर दिए गए हों; या

(ख) जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर उपेक्षा या वित्तीय अनियमितता के लिए धारा २२ ग के अधीन कोई जांच प्रारंभ की गई हो.

(२) उपधारा (१) के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा निलंबन का आदेश दस दिन की अवधि के भीतर परियोजना समिति की दशा में राज्य सरकार को, वितरिका समिति की दशा में संभागीय आयुक्त को और जल उपभोक्ता संथा की दशा में जिला कलक्टर को रिपोर्ट किया जाएगा और वह ऐसे आदेशों के अध्यधीन होगा जिन्हें कि पारित करना, यथास्थिति, राज्य सरकार / संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर उचित समझे और यदि निलंबन के आदेश की ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से ९० दिन के भीतर राज्य सरकार / संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर द्वारा पुष्टि नहीं की जाती तो वह निष्प्रभावी हो गया समझा जाएगा.

(३) कृषक संगठन की प्रबंध समिति के, यथास्थिति सभापति (चेयरपर्सन) / अध्यक्ष और सदस्यों के उपधारा (१) के अधीन निलंबित किए जाने की दशा में, संबंधित कृषक संगठन का सक्षम प्राधिकारी तुरन्त किन्तु संबंधित प्राधिकारी से जानकारी प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अपश्चात् कृषक संगठन का विशेष सम्मिलन बुलाएगा तथा सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को प्रबंध समिति का यथास्थिति, सभापति (चेयरपर्सन) / अध्यक्ष, सदस्य का, अस्थायी रूप से पद धारण करने के लिए निर्वाचित करेंगे तथा प्रबंध समिति के सदस्य, यथास्थिति, और ऐसा स्थानापन्न सभापति (चेयरपर्सन) / अध्यक्ष और प्रबंध समिति के सदस्य उस अवधि के दौरान जिसके कि लिए ऐसा निलंबन जारी रहता है, यथास्थिति, प्रबंध समिति के सभापति (चेयरपर्सन) या अध्यक्ष या सदस्य प्रबंध समिति के समस्त कृत्यों का निर्वहन तथा समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे.

(४) कोई ऐसा व्यक्ति, जो उपधारा (१) के अधीन निलंबित किया गया है, वह ऐसे किसी अन्य कृषक संगठन के सभापति (चेयरपर्सन) / अध्यक्ष, प्रबंध समिति के सदस्य के पद से भी तुरन्त निलंबित हो जाएगा, जिसका कि वह एक सदस्य या पदाधिकारी है तथा ऐसा व्यक्ति अपने निलंबन के दौरान अधिनियम के अधीन निर्वाचित होने से भी निरर्हित होगा.

कृषक संगठन के पदाधिकारियों का हटाया जाना.

२२ च. (१) राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी, धारा २२ ग के अधीन संस्थित की गई ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह किसी भी समय करना आवश्यक समझे, संबंधित कृषक संगठन के किसी पदाधिकारी को हटा सकेगा—

(क) यदि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर उपेक्षा का दोषी पाया गया हो;

(ख) यदि उसका पद पर बना रहना जन हित में अवांछनीय हो गया है:

परन्तु किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे यह कारण बताने का अवसर नहीं दे दिया जाता कि उसे क्यों न उसके पद से हटा दिया जाए:

परंतु यह और कि जांच में अंतिम आदेश, संबंधित पदाधिकारी को कारण बताओ सूचना के जारी किए जाने की तारीख से ९० दिन के भीतर पारित किया जाएगा और जहां लंबित मामले का विनिश्चय ९० दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो वहां समुचित प्राधिकारी, अपने अगले वरिष्ठ अधिकारी को लिखित में समस्त तथ्यों की जानकारी देगा और जांच के निपटारे के लिए समय बढ़ाने हेतु निवेदन करेगा किन्तु ऐसा समय ३० दिन से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा.

(२) ऐसा व्यक्ति, जिसे उपधारा (१) के अधीन हटा दिया गया है, तत्काल किसी ऐसे कृषक संगठन का, जिसका कि वह सदस्य है, सदस्य नहीं रह जाएगा और ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन छह वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचित होने से भी निरर्हित हो जाएगा.

हानि, दुर्व्ययन और दुर्विनियोग के लिए अध्यक्ष / सभापति (चेयरपर्सन) का दायित्व.

२२ छ. (१) कृषक संगठन का प्रत्येक अध्यक्ष / सभापति (चेयरपर्सन), सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक उस कृषक संगठन के, जिसका कि वह एक पक्षकार रह चुका हो, किसी धन या अन्य संपत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्ययन या दुर्विनियोग के लिए जो कि कदाचार या अपने कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण उसके द्वारा कारित हुई हो, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और ऐसी हानि, दुर्व्ययन या दुर्विनियोग की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित राशि समुचित प्राधिकारी द्वारा वसूल की जाएगी:

परंतु इस धारा के अधीन कोई वसूली तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(२) यदि संबंधित व्यक्ति रकम का भुगतान करने में असफल रहेता है तो ऐसी रकम भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी और संबंधित कृषक संगठन की निधि में जमा की जाएगी.

अभिलेख, वस्तुएं और धन वसूल करने की शक्ति.

२२ ज. (१) जहां समुचित प्राधिकारी की यह राय है कि कृषक संगठन से संबंधित कोई अभिलेख या वस्तु या धन किसी व्यक्ति ने अप्राधिकृत रूप से अपनी अभिरक्षा में रखा हुआ है तो वह लिखित आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा अभिलेख या वस्तु या धन, कृषक संगठन को, ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में, जिसे कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए, तत्काल परिदत्त कर दिया जाए या उसका भुगतान कर दिया जाए.

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन निदेशित किए गए अनुसार अभिलेख या वस्तु का परिदान या धन का भुगतान करने में असफल रहता है या उससे इंकार करता है तो समुचित प्राधिकारी उसे गिरफ्तार करवा सकेगा और ऐसे प्ररूप में वारंट के साथ, जैसा कि विहित किया जाए, तीस दिन से अनधिक की कालावधि के लिए उसे सिविल जेल में परिरुद्ध किए जाने के लिए भेज सकेगा.

(३) समुचित प्राधिकारी—

(क) ऐसे किसी धन को वसूल करने के लिए निदेश दे सकेगा कि ऐसा धन भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जाए; और

(ख) ऐसे किसी अभिलेख या वस्तुओं को वसूल करने के लिए तलाशी वारंट जारी कर सकेगा और उसके संबंध में उन समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिनका कि प्रयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के अध्याय ७ के उपबंधों के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा विधिपूर्वक किया जाता है.

(४) उपधारा (१) या (२) या (३) के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को यह कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए कि उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई क्यों न की जाए.

(५) ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कार्रवाई की गई है, ऐसी कार्रवाई के प्रारंभ होने से छह वर्ष तक की कालावधि के लिए किसी कृषक संगठन का सदस्य होने से निरर्हित हो जाएगा.

कृषक संगठन के कार्यों का निरीक्षण.

२२ झ. (१) राज्य सरकार के अधिकारी अर्थात् जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग के उपखण्ड अधिकारी, कार्यपालन यंत्री और अधीक्षण यंत्री, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी, कृषक संगठन के कार्यों तथा अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा और निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं से संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को या समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई कर सकेगा.

(२) कृषक संगठन के पदाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा चाही गई समस्त जानकारियां तथा अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए आबद्ध होंगे.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९) की धारा ४ की उपधारा (५) में यह उपबंधित है कि जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्य, को यदि पूर्व में वापिस न बुलाया गया हो, तो वे सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए पद पर रहेंगे. जल उपभोक्ता संथा के पदाधिकारियों को क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है. पांच वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात्, नये चुनाव कराए जाते हैं और प्रबंधन समिति के नये अध्यक्ष/सदस्य निर्वाचित होते हैं. जल उपभोक्ता संथाओं के कार्यकाल में कोई निरंतरता नहीं है. वास्तविक सिंचाई और निर्मित सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को दूर करने के लिए, भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कमाण्ड क्षेत्र विकास और जल प्रबंध कार्यक्रम सतत् रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है. भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जल उपभोक्ता संथाएं, कमाण्ड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य रूप से क्रियान्वयन एजेन्सी होंगी. अतएव, जल उपभोक्ता संथाओं के कार्यकाल में निरन्तरता की आवश्यकता का अनुभव किया गया. जल उपभोक्ता संथाओं के कार्यकरण में निरन्तरता बनाए रखने की दृष्टि से उनका कार्यकाल अब ६ वर्ष प्रस्तावित है और प्रत्येक २ वर्ष के पश्चात्, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के एक तिहाई सदस्यों का चक्रानुक्रम में निर्वाचित किया जाना प्रस्तावित है. अतएव, मूल अधिनियम की धारा ३ से ८ तक में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. मूल अधिनियम में भी कृषक संगठनों द्वारा उनकी अधिकारिता के भीतर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से, नहर के वार्षिक अनुरक्षण के कार्य किए जाते हैं. जल मार्गों, खेत जलसरणियों के निर्माण और नहरों के अनुरक्षण का कार्य भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन किया जाता है. कृषक संगठन के पदाधिकारियों के विरुद्ध, उनके विरुद्ध कोई अनियमितताएं पाए जाने की दशा में, कार्रवाई करने के लिए कोई उपबंध नहीं है. अतएव, कृषक संगठनों की जांच पड़ताल करने और उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मूल अधिनियम में ''नियंत्रण'' के नाम से एक नया अध्याय अंत:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख १५ मार्च, २०१३

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, २०१३ के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजित किया जाता हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

१. **खण्ड-१.** धारा १ (२) मध्यप्रदेश राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों एवं अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत करने हेतु अधिसूचनाएं जारी करने के संबंध में;

२. **खण्ड-३.** धारा ४ (४) जल उपभोक्ता क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की प्रबंध समिति के निर्वाचन के संबंध में;

३. **खण्ड-३.** धारा ४ (५) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में;

४. **खण्ड-३.** धारा ४ (६) जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य निर्वाचित नहीं होने की स्थिति में नया निर्वाचन कराये जाने के संबंध में;

५. **खण्ड-५.** धारा ६ (२) वितरिका समिति के सदस्यों में से अध्यक्ष के निर्वाचन कराये जाने के संबंध में;

६. **खण्ड-५.** धारा ६ (३) वितरिका समिति की प्रबंध समिति का अध्यक्ष निर्वाचित न होने की स्थिति में नये निर्वाचन कराये जाने के संबंध में;

७. **खण्ड-७.** धारा ८ (२) (क) परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति का निर्वाचन कराये जाने के संबंध में;

८. **खण्ड-७.** धारा ८ (२) (ग) परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति का निर्वाचन न होने की स्थिति में नया निर्वाचन कराये जाने के संबंध में; तथा

९. **खण्ड-८.** धारा २२ (ज) (२) कृषक संगठन से संबंधित कोई पदाधिकारी, अभिलेख या वस्तु का परिदान या धन का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के संबंध में,

नियम बनाए जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.